अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 262/2013

बीरेन्द्र ठाकुर — अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य — रेस्पाण्डेन्ट्स

–:आदेशः–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के आदेश दिनांकः 16.05.2013 ई० अंदर वाद संख्या–122/12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का अपील आवेदन में कथन है कि अपीलार्थी ने बॉके बरहशेर परगना उत्तर खण्ड थाना बिहरा, जिला– सहरसा थाना नं0 161 तौजी नं0 4224 खाता पुरानाः 255 , खेसरा पुरानाः 2313 नयाः 2662 रकवाः 18 धुर जमीन श्रीमति पुकार देवी पति स्व0 शिवकिशोर सिंह वो श्रीमति इन्द्रा देवी पति श्री मधुसूदन ठाकुर दोनों साकिनान बरहशेर थानाः बिहरा, जिलाः–सहरसा से दस्तावेज संख्याः– 6337 दिनांकः 18.05.2004 से खरीद किया। उक्त जमीन गैरगजरूआ खास जमीन थी तथा इन्द्रा देवी पति मधूसूदन ठाकुर एवं पुकार देवी पति शिव किशोर सिंह के दखल कब्जे में थी। इन्द्रा देवी वो पुकार देवी ने इस जमीन का जमाबन्दी संख्याः 32 एवं 34/4 कायम करवा कर सरकार को राजस्व का भुगतान करती चली आ रही थी वो इस जमीन में दो मकान भी था।

अपीलार्थी का आगे कथन करते है कि विपक्षी गण 2 से लगातार 8 भारारती तत्वों वो अपीलार्थी से दुश्मनागत रखने वालो के बे मेल में हैं वो बराबर आर–धुर लेकर बलवा तकरार करते रहते है। इसलिए अपीलार्थी भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत कानून का पालन करते हुए कंडिका–1 में वर्णित जमीन पर अपना अधिकार प्रख्यापित करने वो सीमांकन के लिए वाद लाया वो अपने वाद के संदर्भ में समस्त दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया। निम्न न्यायालय के कंडिका–1 में वर्णित जमीन के अधिकार का प्रख्यापन एवं सीमांकन की प्रार्थी की बात का उल्लेख किया है

लेकिन निम्न न्यायालय ने यह कहते हुए कि वाद में सिडूल–1 नहीं है और अस्पष्टता के आधार पर वाद खारीज कर दिया। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में यह अनुरोध किया गया है कि " वाद की सुनवाई कर निम्नन्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया जाय"।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अंकित किया गया है कि विपक्षी संख्या 01 से 05 द्वारा वादी के वाद का विरोध किया है तथा आवेदक की खरीदगी रकवा 10 धूर भूमि ही कबूल करते हैं जिस खरीदगी भूमि पर विपक्षी के पूर्वज का घर ऑगन, दरवाजा होना बतलाते हैं तथा बासगीत पर्चा से हासिल होना बतलाते हैं। विपक्षी यह भी कबूल करते हैं कि खाता पुराना 255 खेसरा पुराना 2313 गैरमजरूआ खास भूमि थी जिस भूमि के खेसरा पंजी के कैफियत कॉलम में विपक्षीगण के पूर्वज का मकान मय सहन होने का उल्लेख होना बतलाते हैं तथा विवादी भूमि का बासगीत पर्चा एवं मालगुजारी रसीद प्राप्त होना बतलाये हैं। उसी तरह से विपक्षी संख्या 06 एवं 07 की ओर से दाखिल जबाब में वादी के द्वारा दाखिल वाद का विरोध करते हुए वादी का दखल कब्जा विवादी भूमि पर नहीं होने का कथन किया है।

निम्न न्यायालय के आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि वादी की ओर से दाखिल कागजी प्रमाण में खाता पुराना 255 खेसरा पुराना 2313 खेसरा नया 2662 रकवा 18 धूर भूमि खरीदगी है तथा विवादी खेसरा 2313 खेसरा नंया 2662 का रकवा मात्र 02 डी0 खेसरा पंजी में अंकित है तथा किस्म भीठ एक दर्ज है खतियानी रैयत में वादी के विक्रेता का नाम अंकित है तथा यादास्त में दखल कब्जा मकान विक्रेता का अंकित है। जमाबन्दी नं0 32 एवं 34/4 अंकित है के खाता पुराना 255 गैरमजरूआ खास की एराजी है।

निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में यह मंतव्य दिया गया है कि वादी के द्वारा मांग की गई अनुतोष में सिडुल 01 की भूमि पर अधिकारों का प्रख्यापन की मांग किया है परन्तु अर्जी आवेदन में वादी की ओर से कोई सिडुल अंकित नहीं है। वादी की ओर से दाखिल कागजी प्रमाण से भी विवादी खेसरा 2313 पुराना नया 2662 का नाट फाईनल खतियान में रकवा 02 डी0 अर्थात 09 धूर ही अंकित है जबकि केवाला पर रकवा 18 धूर खरीदगी है। खरीदगी भूमि का कोई भी मालगुजारी रसीद विक्रेता के नाम अथवा आवेदन खरीददार के आधार पर दाखिल नहीं किया है जिससे विवादी भूमि पर दखल प्रमाणित हो सके।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को नामांकन बिन्दु पर उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सुना पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है एवं प्रश्नगत मामले मूल रूप से निर्गत बासगीत पर्चा के आधार पर सीमांकण से संबंधित है। अतः अंचल अधिकारी के समक्ष आवश्यक आवेदन देकर मामले का निष्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार अपील में कोई तथ्य परख आधार नहीं होने के कारण यह वाद ग्रहण योग्य नहीं है। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा